फा.सं.एफ.1/88(10)/2023-भ-III
संघ लोक सेवा आयोग
भर्ती III अनुभाग

पुनःपरीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण	
पद का नाम	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर (वनस्पति विज्ञान) के पद की एक (01) रिक्ति (अना.- 01)
विज्ञापन सं.	16/2023
रिक्ति सं.	23081604326

अनिवार्य योग्यताएं (अ.यो)	**(क) शैक्षणिक:** 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित/संगत/संबद्ध विषयों में 55% अंकों (या जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ मास्टर डिग्री (वनस्पति विज्ञान) 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या सीआईएसआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) (लाइफ साइंस) या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित एसएलईटी/एसईटी (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षण) जैसी समान परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें यूजीसी (एमफिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 या 2016 और समय-समय पर उनके संशोधनों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, पीएच.डी डिग्री (वनस्पति विज्ञान) प्रदान की गई हो, उन्हें नेट/एसएलईटी/एसईटी से छूट दी गई हो। बशर्ते, 11 जुलाई, 2009 से पहले पी एच डी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार, डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे और ऐसे पीएचडी उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट दी जाएगी, बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं- क) उम्मीदवार को पीएच.डी की डिग्री नियमित माध्यम से प्रदान की गई हो; ख) पीएच.डी थीसिस का मूल्यांकन, कम से कम बाहर के दो परीक्षकों द्वारा

	किया गया हो; ग) उम्मीदवार की खुली (ओपन) पीएच.डी मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो; घ) उम्मीदवार ने अपने पीएच.डी कार्य से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों, जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए; ङ) उम्मीदवार ने यूजीसी/आईसीएसएसआर/सीएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित/वित्तपोषित/समर्थित, सम्मेलन/सेमिनार में अपने पीएच.डी कार्य पर आधारित कम से कम दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हों। संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा यह प्रमाणित किया जाना है कि उपरोक्त (क) से (ई) तक की शर्तें पूरी की जा रही हैं। या (ख) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/संस्था से पीएच.डी. डिग्री। नोट 1. ऐसे विषयों में मास्टर प्रोग्राम के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए यूजीसी/सीआईएसआर द्वारा एनईटी/एसएलईटी/एसईटी आयोजित नहीं किया जाता है या यूजीसी द्वारा प्रत्यायित एसएलईटी/एसईटी जैसा समान परीक्षण का भी आयोजन नहीं किया जाता है। **(ख) <u>अनुभव:</u>** शून्य

अपनाए गए मापदंड	(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है। (ii) अध्यापन संबधी अनुभव लागू किया गया है। (iii) आवेदनों की संवीक्षा, संबंधित रिक्ति के भर्ती नियमों और अपनाए गए मानदंडों के अनुसार की गई है।

	(iv) संवीक्षा हेतु ऑन-लाइन भर्ती आवेदनों (ओआरए) में किए गए दावों पर ही शैक्षिक योग्यता /अनुभव के रूप में विचार किया गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसी सूचना का दावा किया है जो उनकी अ.यो. – क, अ.यो.-ख और वां.यो. के संबंध में पद संबंधी उनकी पात्रता के लिए स्वीकार्य है। ओआरए के संगत मॉड्यूल में इनकी सूचना प्रदान किए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है। (v) शोध संबंधी अनुभव को संगत अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। (vi) प्रशिक्षण अतिथि संकाय, आगंतुक संकाय आदि के अनुभव को मान्य/संगत अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, जिन मामलों में अनुभव प्रमाण-पत्र में इस बात का उल्लेख हो कि अतिथि/आगंतुक संकाय नियमित आधार पर कक्षाएं ले रहा है, तो इस प्रकार के अनुभव को स्वीकार किया गया है। (vii) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र संख्या एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर अपेक्षित सूचना उनके पास उपलब्ध होने की स्थिति में मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। (viii) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र और उम्मीदवारों द्वारा स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र पर अनुभव के प्रमाण के रूप में विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। (ix) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और इन्हें 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। इसी प्रकार जिन उम्मीदवारों ने संगत अनुभव का दावा किया है परंतु इस संबंध में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र, दावा की गई संपूर्ण अवधि के नहीं हैं या किए गए दावे का समर्थन नहीं करते, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है जिसका उल्लेख अनुभव प्रमाण-पत्र में किया गया है। (x) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है। **नोटः- आयोग द्वारा मापदंडों का निर्धारण, मामले-दर-मामले आधार पर किया जाता है।**

संवीक्षा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 14.06.2024 को अपलोड किया गया था, जिसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को अपनी अस्वीकृति के संबंध में दिनांक 21.06.2024 तक अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था।

दिनांक 21/06/2024 तक 06 उम्मीदवारों से ई-मेल अभ्यावेदन प्राप्त हुए है और इनकी जांच की गई है। विचाराधीन क्षेत्र के सभी आवेदनों की जांच की गई है। ई-मेल और अभ्यावेदनों का पुनःपरीक्षण ऑनलाइन आवेदनों, शैक्षणिक योग्यताओं और उनमें किए गए अनुभव संबंधी दावों, ओआरए के साथ प्राप्त हुए समर्थित दस्तावेजों और आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों एवं मानदंडों के सन्दर्भ में किया गया है। तदनुसार, अनुवर्ती टिप्पणियां और प्रस्ताव निम्नानुसार हैं।

अनुक्रमांक 223 को 2009/16 विनियम के अनुसार पीएच.डी दस्तावेज जमा करने के अध्यधीन, अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। यह प्रमाण-पत्र अब जमा करा दिया है, अतः उसकी अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है।

अनुक्रमांक 114 को सीजीपीए परिवर्तन सूत्र (कंवर्ज़न फॉर्मूला) उपलब्ध नहीं होने के कारण अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किया गया था। अब इसे जमा करा दिया है, अतः उसकी अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है।

अनुक्रमांक 32 को 'मास्टर डिग्री/अंक-तालिका नहीं अपूर्ण श्रेणी' के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। अभ्यावेदनों की जांच की गई है। किन्तु उम्मीदवार ने अनुप्रयुक्त पादप विज्ञान (एप्लाइड प्लांट साइंस) में मास्टर डिग्री जमा करा दी है, जो अ.यो क1 के अनुसार नहीं है। अतः अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 44 को एलईसी श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। उम्मीदवार ने दावा किया है कि उन्होंने सभी संगत दस्तावेज जमा किए हैं। चूंकि उम्मीदवार के पास अध्यापन अनुभव नहीं है, उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

अनुक्रमांक 27, 53 विचाराधीन क्षेत्र में नहीं हैं। उम्मीदवार यह जानना चाहते हैं कि उनके नाम संवीक्षा सूची में क्यों नहीं हैं। उन्हें निम्नलिखित आधार पर अस्वीकार किया गया है:

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि रिक्ति विज्ञापनों में "**चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश और अतिरिक्त सूचना**" के भाग 3 में स्पष्ट रूप से उन उपायों के बारे में उल्लेख किया गया है कि जब किसी पद के लिए अधिक संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा में कम कर सकता है। इसे नीचे पुनःउद्धृत किया जाता है:-

"3. *न्यूनतम अनिवार्य योग्यता:* सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम-से-कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हो। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी – **I:** *निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। ”*

टिप्पणी – II: ***प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है:***

(क) “वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वांछनीय योग्यता निर्धारित है।”
(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।
(ग) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा संगत क्षेत्र में अधिक अनुभव के आधार पर।
(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।
(ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखति नहीं है।
(च) भर्ती परीक्षण का आयोजन करके। सामान्यतया अंतिम योग्यता निर्धारित करने के लिए भर्ती परीक्षण के अंकों और साक्षात्कार के अंकों का वेटेज 75:25 के अनुपात में दिया जाता है।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हो, सभी का उल्लेख करें।”

संबंधित उम्मीदवारों ने या तो इन अनुदेशों को नहीं पढ़ा है या इसको समझने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए, लघुसूचीबद्ध करने हेतु इनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अनुक्रमांक 108, 129 को क्रमशः अनुभव प्रमाण-पत्र और पीएच.डी प्रमाण-पत्र जमा करने के अध्यधीन लघुसूचीबद्ध किया गया है। चूंकि दोनों ने संगत दस्तावेज जमा नहीं किए है, दोनों को अपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जाता है।

तदनुसार, संवीक्षा को निम्नानुसार संशोधित किया गया है**:**

संवीक्षा

01 अना. रिक्ति

मापदण्ड: अ.यो. (क1) + अ.यो. (क2) + अध्यापन में एक वर्ष या अधिक का अनुभव।

साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए:-

अनुक्रमांक:

114	191	213	223	226

(05 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:-

एलईक्यू-क1

अनुक्रमांक:

59

(01 उम्मीदवार)

एलईसी:-

अनुक्रमांक.:

01 02 04 24 17 37 41 44 46 48 49

54 60 70 72 76 84 88 92 93 95 106

126 130 132 142 145 149 165 167 176 179

180 186 192 199 202 206 210 212 214 215

219 230 232 238

(46 उम्मीदवार)

अपूर्ण:-

अनुक्रमांक

कारण	अनुक्रमांक
अनुभव प्रमाण-पत्र में उल्लिखित तारीखें दावे से मेल नहीं खातीं।	63
अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना।	189$ 108
डिग्री/पीएच.डी/अंक तालिका क1/क2 के बिना	32 129 181 162 208
नियुक्ति/त्याग पत्र/स्थानान्तरण आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/कार्यालय आदेश/ वेतन प्रमाण-पत्र/उम्मीदवार द्वारा स्वप्रमाण-पत्र /स्वरोजगार प्रमाण-पत्र आदि को अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं माना गया है।	

$ एमएससी डिग्री प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के लिए भी अस्वीकृत किया जा सकता था।

(08 उम्मीदवार)

शेष 180 आवेदनों को एक वर्ष से अधिक के किसी अनुभव का दावा नहीं किए जाने के आधार पर **एलईसी (बढाए गए मानदंड)** श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके **अनुक्रमांक** सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>> आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

इस संबंध में आगे कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

संकेतक:

एलईसी – बढाए गए मानदंड में कमी

ईसी – अनुभव प्रमाण-पत्र

एलईक्यू-क1 – अनिवार्य योग्यता -A1 में कमी

परामर्शदाता /उपसचिव भ.III

किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।